

राजस्थान सरकार बनाम महाराज सिंह वगैरा
रैफरेंस संख्या 75/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01-11-2021	<p>उभयपक्ष उप0। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में विवादित भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से काश्त करना बताते हुये अत्यधिक विलम्ब, वो भी बिना किसी तर्क संगत कारण के पेश करने से संबंधित न्यायिक नजीरे पेश करते हुये रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मुताविक जमाबन्दी संवत 2012-2015 आराजी खसरा नम्बर 1195 रकवा 7 वीघा 12 विस्वा मकबूजा मजकूर दर्ज है एवं भूमि का प्रकार वाले कॉलम में "परत" का अंकन है। जमाबन्दी संवत 2020-2023 में आराजी खसरा नम्बर 1195 रकवा 1वीघ भोलाराम बल्द तोताराम कौम ब्राहमण श्यौदान बल्द धनीराम कौम ठाकुर वा हिस्सा बराबर खातेदार के रूप में दर्ज है एवं भूमि का प्रकार कदीम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2025-2028 में आराजी खसरा नम्बर 1195 रकवा 10 विस्वा पर ओमप्रकाश बल्द भोलाराम कौम ब्राहमण साकिन देह दर्ज दर्ज है एवं भूमि की किस्म कदीम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2069-2072 में आराजी खसरा नम्बर 2015/1195 रकवा 10 विस्वा पर महाराजसिंह पुत्र श्यौदानसिंह कौम ठाकुर सा. देह खातेदार दर्ज है एवं भूमि की किस्म कदीम दर्ज है।</p> <p>इस प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म कमशः पडत एवं कदीम के रूप में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी तहसीलदार रूपवास के द्वारा भूमि की किस्म धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित एवं अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रतिबंधित भूमि बताते हुये रैफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया है। समस्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ से गैरमकिन गानि नाकाबिल काश्त के का</p>	

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2015/1195 रकवा 10 विस्वा कदीम बाबत प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज पाया जाता है।

अतः आदेश है कि रैफरेंस प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नम्बर 2015/1195 रकवा 10 विस्वा कदीम ग्राम रूपवास खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखित दफ्तर हो।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर